पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3573

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-176 वर्ष-2018 थाना-मटिहानी जिला-बेगूसराय

==========

विवेक कुमार, पिता दिलीप राय उर्फ दिलीप कुमार राय निवासी ग्राम-रचियाही पुराना टोला, थाना-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

2023 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3597

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-176 वर्ष-2018 थाना-मटिहानी जिला-बेगूसराय

==========

संतोष कुमार पिता राम पुकार तांती, निवासी ग्राम-पन्नापुर थाना-मटिहानी जिला-बेगूसराय

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

2023 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3667

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-176 वर्ष-2018 थाना-मटिहानी जिला-बेगूसराय

==========

सुमित कुमार, पिता दिलीप राय उर्फ दिलीप कुमार राय, ग्राम निवासी-रचियाही पुराना टोला, थाना-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितः

(2023 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3573 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता: श्री बी. एम. पी. सिन्हा, अ.लो.अ

(2023 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3597 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

उत्तरदाता-राज्य के लिए : श्री आनंद मोहन प्रसाद मेहता, अ.लो.अ

(2023 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3667 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता: श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, अ.लो.अ

==========

- ***अपील का विषय - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील - गवाहों के बयानों में विरोधाभास एवं पहचान संबंधी समस्याएं - पीड़िता ने पहले अपहरण का दावा किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि वह पहले से अभियुक्त को जानती थी,*** *जिससे उसकी गवाही पर संदेह उत्पन्न हुआ।* - ***घटनास्थल को लेकर विरोधाभास, जिससे पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठा।*** *- (पैरा 17)* ***प्रक्रियात्मक त्रुटियां एवं निष्पक्ष सुनवाई के उल्लंघन-*** *मुख्य गवाह (अ.सा-5) अभियोजन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उसे शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया, जिससे उसकी गवाही कानूनी रूप से चुनौतीहीन रही। - (पैरा 19)*

- ***धारा 313 दं.प्र.सं के तहत अभियुक्त का समुचित परीक्षण नहीं किया गया – अभियुक्त विवेक कुमार की भूमिका स्पष्ट रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।*** *- (संदर्भः सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2014) 10 एस सी सी 270]) (पैरा 19)*

- ***चिकित्सकीय एवं फॉरेंसिक प्रमाणों की अनुपस्थिति - पीड़िता के निजी अंगों के आसपास कोई चोट नहीं पाई गई, जिससे अभियोजन के दावे कमजोर हो गए। - बलात्संग का कोई प्रमाण नहीं मिला। -*** *(संदर्भः नंद लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2023) 10 एस सी सी 470]) (पैरा 14 एवं 20)*

- ***भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए की संदेहास्पद लागू योग्यता*** *- अभियोजन पक्ष पीड़िता को जबरन अवैध संभोग में धकेलने का इरादा साबित करने में असफल रहा। - (संदर्भः सत प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य [(2015) 16 एस सी सी 475]) (पैरा 18)*
- ***बल प्रयोग या धमकी का कोई प्रमाण नहीं*** *- पीड़िता ने अपहरण के दौरान किसी प्रकार के बल या धमकी का आरोप नहीं लगाया, न ही मोटरसाइकिल पर ले जाते समय कोई प्रतिरोध किया।* ***- अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियुक्त का 'यौन उद्देश्य' साबित किया जाना आवश्यक है, जो इस मामले में प्रमाणित नहीं हुआ।*** *(पैरा 21)*
- *निष्कर्ष - अभियोजन पक्ष अपहरण, बंधक बनाने, या यौन उत्पीड़न के तत्वों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। दोषसिद्धि रद्द कर दी गई, और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। (पैरा 24-27)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः18-07-2024

चूंकि ये तीनों अपीलें एक ही थाना मामले और एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका निपटारा एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

2. ये अपीलें अपीलकर्ताओं-दोषियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-374(2) (जिसे आगे 'दं.प्र.सं.' कहा जाएगा) के तहत दायर की गई हैं, जिसमें मटिहानी थाना से उत्पन्न पोक्सो केस संख्या 96/2018 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, बेगूसराय द्वारा क्रमशः दिनांक 15.07.2023 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 18.07.2023 को दिए गए सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। 2018 का मामला संख्या 176, जिसके तहत संबंधित ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त सभी अपीलकर्ताओं/दोषियों को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.सं') की धारा 366-ए, 354-बी, 342 सहपठित 34 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम') की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर धारा

366-ए सहपठित 34 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास, 1000 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के साधारण कारावास और जुर्माना अदा न करने पर धारा 342 सहपठित 34 के तहत एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और 10,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के मद्देनजर भा.दं.सं की धारा 354-बी के तहत कोई अलग से सजा नहीं सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया है।

3. अभियोजन का मामला सूचक अर्थात जी.एम./अ.सा.-3 द्वारा मटिहानी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लिखित सूचना पर आधारित है, जिसमें अन्य बातों के *साथ-साथ* यह बताया गया है कि उनकी बेटी 'एक्स' उम्र लगभग 10 वर्ष अपनी सहेली 'वाई' के साथ 07.12.2018 को रचियाही कचहरी टोल में अपने *ननिहाल* गई थी। वह देर रात तक वापस नहीं लौटी, तब उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी बेटी की खोज शुरू की। 08.12.2018 को शाम में उनकी बेटी आई और खुलासा किया कि 07.12.2018 को जब वह अपने *ननिहाल* से लौट रही थी, तो लुचो चौक पर एक सुनसान जगह पर अपीलकर्ता-दोषी अर्थात सुमित कुमार, विवेक कुमार, संतोष कुमार और एक अन्य ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और रिचिआही पुराना टोल में अवधेश राय के घर ले गए और पूरी रात उसके साथ रखा और उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। अवधेश राय और उसकी पत्नी ने उसे धमकाया। मुखबिर ने आगे खुलासा किया कि अपीलकर्ता सुमित कुमार ने मुखबिर की बेटी को अपने गांव में छोड़ दिया और वहां से भाग गया, जिसने उसकी बेटी को एक मोबाइल दिया जिसमें एक सिम नंबर 8969667468 इस्तेमाल किया जा रहा था और एक सूट दिया। 09.12.2018 को, सुबह, गोलू कुमार नाम का एक लड़का उसके घर आया और मोबाइल और सूट वापस करने के लिए कहा क्योंकि अपीलकर्ता सुमित कुमार ने इसकी मांग की थी। उस समय, गोलू कुमार को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया।

4.उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर मटिहानी पुलिस ने औपचारिक एफआईआर तैयार की और भा.दं.सं की धारा 376-ए/34, 120-बी, 366-ए और पोक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मटिहानी पीएस केस नंबर 176/2018 के तहत मामला दर्ज किया।

5. जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता सुमित कुमार, सह-आरोपी बिभा देवी, अपीलकर्ता विवेक कुमार और सह-आरोपी गोलू कुमार के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 366-ए, 354-बी, 342 के साथ पठित 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप पत्र संख्या 24/2019 दिनांक 06.03.2019 को दाखिल किया है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है और इसके पूरा होने पर, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता संतोष कुमार और एक अन्य आरोपी अवधेश राय के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 366-ए, 376-डीए, 342 के साथ पठित 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 31.12.2019 को पूरक आरोप पत्र संख्या 186/2019 दाखिल किया है। चूंकि आरोपी गोलू कुमार घटना के समय किशोर था, इसलिए उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा चलाया गया। जांच के दौरान रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं-दोषियों के खिलाफ संज्ञान लिया और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

6. अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष कुल मिलाकर नौ गवाहों से पूछताछ की है। वे हैं- (I) अ.सा.-1 पीड़ित (एक्स); (ii) अ.सा.-2 पीड़िता की मां; (iii) अ.सा.-3 पिता पीड़ित का; (iv) अ.सा.-4 धीरेंद्र कुमार पाठक (आई.ओ.); (वी) अ.सा.-5 ज्योति कुमारी (पीड़ित की सहेली); (vi) अ.सा.-6 उरनी देवी; (vii) अ.सा.-7 डॉ. राम प्रवेश प्रसाद (चिकित्सा अधिकारी); (viii) अ.सा.-8 डॉ. अरुण कुमार (चिकित्सा अधिकारी) और (ix) अ.सा.-9 डॉ. शशि प्रभा (चिकित्सा अधिकारी)।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है:-

क्रम सं	प्रदर्श सं०	दस्तावेजों की सूची
1	प्रदर्श- पी 1	दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान पर उसके हस्ताक्षर।
2	प्रदर्श- पी 2	लिखित रिपोर्ट पर मुखबिर के हस्ताक्षर।
3	प्रदर्श- पी 3	औपचारिक एफआईआर
4	प्रदर्श- पी 4	दं.प्र.सं की धारा 161 के तहत पीड़िता का दर्ज बयान।
5	प्रदर्श- पी 5	पहला आरोप-पत्र।
6	प्रदर्श- पी 5/1	दूसरा आरोप-पत्र।
7	प्रदर्श- पी 6	सत्यापित मेडिकल रिपोर्ट पर डॉ. राम प्रवेश प्रसाद के हस्ताक्षर।
8	प्रदर्श- पी 6/1	मेडिकल रिपोर्ट की सत्यापित प्रति पर डॉ. अरुण कुमार के हस्ताक्षर।
9	प्रदर्श- पी 6/2	मेडिकल रिपोर्ट पर डॉ. शशि प्रभा के हस्ताक्षर।

8. बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में सुलेन्द्र तांती नामक एक गवाह को डी.डब्लू.-1 के रूप में भी पेश किया है।

9. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं/आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच करते समय मुकदमे के दौरान सामने आए अपराधजनक परिस्थितियों/साक्ष्यों

के बारे में समझाया, जिस पर उन्होंने मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों से इनकार किया और अपनी पूरी बेगुनाही दिखाई।

10. साक्ष्यों के अवलोकन और तर्कों पर विचार करने के पश्चात, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए, 354, 342 सहपठित 34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया तथा धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषमुक्त किया। दोषसिद्धि के उपरोक्त निर्णय और सजा के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

11. अतः वर्तमान अपील।

<u>अपीलकर्ता-दोषियों की ओर से तर्क:</u>

12. अपीलकर्ताओं-दोषियों के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया है कि धारा 366-ए भा.दं.सं के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा कानून की नजर में स्पष्ट रूप से खराब है क्योंकि अ.सा.-1/पीड़िता और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि उसका अपहरण किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने **सत प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [(2015) 16 एससीसी 475)]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला स्थापित करने के लिए 'यौन इरादा' एक प्रमुख विचार है। इस संदर्भ में यह बताया गया है कि अ.सा.-1/पीड़िता यह गवाही देने में विफल रही है कि उसे रास्ते भर मोटरसाइकिल पर बैठाकर और अंततः अपीलकर्ता संतोष कुमार की *मौसी* के घर ले जाते समय प्रताड़ित किया गया, जहां उसके साथ विभिन्न अवसरों पर बलात्कार किया गया। यह बताया गया है कि अ.सा.-1/पीड़िता के बयान के मद्देनजर घटनास्थल भी विवादित प्रतीत होता है, क्योंकि उसने कहा कि यह बांस के झुरमुट के पास एक अलग जगह है। यह भी

प्रस्तुत किया गया है कि अ.सा.-1 के बयान के अनुसार अपीलकर्ता-दोषी विवेक कुमार के खिलाफ लगभग कोई आरोप नहीं है, बल्कि उसने अपीलकर्ता-दोषी विवेक कुमार के खिलाफ कहा कि वह आंगन में खड़ा था और घटना के दौरान केवल सतर्क था। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कक्षा-5 की छात्रा थी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान स्कूल रजिस्टर एकत्र करने में विफल रही, ताकि उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के अर्थ में एक बच्ची साबित किया जा सके। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2013) 7 एससीसी 263]** मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यौन अपराध के नाबालिग पीड़ित की आयु किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 के मद्देनजर तय की जानी चाहिए।

13. श्री ठाकुर ने आगे कहा कि इस मामले में दोषसिद्धि अ.सा.-1 की गवाही के आधार पर हुई थी, जो इस मामले की ही पीड़िता है और भौतिक विरोधाभासों को देखते हुए, उसे उत्कृष्ट गवाह के रूप में योग्य नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में, उन्होंने आगे बताया कि अ.सा.-3, जो पीड़िता का पिता है, ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बेटी अपीलकर्ता-दोषी अर्थात् संतोष कुमार से परिचित थी, लेकिन वह उसे पहचानने में विफल रहा। अ.सा.-2 पीड़िता की मां है, जो मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता-दोषी को पहचानने में भी विफल रही। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपीलकर्ता संतोष कुमार के बारे में नहीं जानती थी। ऐसी सभी गवाही यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि दुश्मनी के कारण अपीलकर्ता-दोषी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया था।

14. तर्क समाप्त करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि अ.सा.-5 ज्योति कुमारी है और पीड़िता/अ.सा.-1 के साथ थी, उसने अपने बयान में घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान करने से साफ इनकार कर दिया। वह यह भी बयान देने में विफल रही कि वह घटना में शामिल लड़के की पहचान नहीं कर सकती। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अ.सा.-

7, जिसने डॉक्टर के रूप में जांच की, उसे पीड़िता के निजी अंग में या उसके आसपास कोई चिकित्सा चोट नहीं मिली, जिससे यह पता चले कि उस पर कोई यौन उत्पीड़न किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि का फैसला रद्द करने और अलग रखने योग्य है।

राज्य की ओर से तर्क:

15. विद्वान एपीपी ने अपीलकर्ताओं-दोषियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अ.सा.-1 के बयान के अनुसार अपीलकर्ता संतोष कुमार और सुमित कुमार के खिलाफ प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न का आरोप विशेष रूप से उपलब्ध है और उसके बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसका बयान इस बिंदु पर सुसंगत पाया गया और यह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान से पुष्ट होता है, जबकि विद्वान एपीपी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अ.सा.-1 के बयान से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपहरण इस उद्देश्य से किया गया था कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए बहकाया या मजबूर किया गया हो।

16. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया है, साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है।

निष्कर्ष:

17. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अ.सा.-1 की गवाही के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की है। अ.सा.-1 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपीलकर्ता-दोषी सुमित कुमार और संतोष कुमार ने अगवा किया था

और उसे घाटवारा टोल गांव में उसकी *मौसी* के घर ले जाया गया था। उसके बयान से ऐसा कहीं नहीं लगता कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया या बहकाया गया। उसके बयान के अनुसार, बलात्कार की मुख्य घटना अपीलकर्ता-दोषी संतोष कुमार की मौसी के घर में हुई थी, लेकिन उसने अपनी जिरह में कहा कि घटनास्थल बांस के झुरमुटों के पास एक सुनसान जगह थी। उसकी गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वयं घटनास्थल पर विवाद किया था, हालांकि उसके पिता अ.सा.-3 के बयान के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से पूर्व वह अपीलकर्ता-दोषी संतोष कुमार से परिचित थी, लेकिन इसके विपरीत उसने यह बयान दिया कि वह घटना से पूर्व अपीलकर्ता-दोषी से परिचित नहीं थी और वह उसके लिए पूरी तरह से अजनबी था।

18. इस समय, **सत प्रकाश केस** (उपर्युक्त) के पैरा 5 और 6 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

> ***"5. दंड संहिता की धारा 366-ए के संदर्भ में लगाए गए आरोपों की गहन जांच की आवश्यकता है। दंड संहिता की धारा 366-ए का अंश नीचे दिया गया है:***
>
> > ***"366-ए. नाबालिग लड़की का अपहरण। - जो कोई भी, किसी भी तरह से, अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी नाबालिग लड़की को किसी भी स्थान से जाने के लिए या कोई कार्य करने के लिए इस आशय से प्रेरित करता है कि ऐसी लड़की को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे दस साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। "***

उपर्युक्त धारा के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 366-ए के तहत अपराध के लिए नाबालिग को प्रेरित करना उसे "किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करने के लिए मजबूर करने या बहकाने के इरादे से होना चाहिए था..."। वास्तव में, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के क्रम में किसी अन्य व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

6. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से हम संतुष्ट हैं कि धारा 366-ए भा.दं.सं के तहत आरोप भी अपीलकर्ता के खिलाफ टिकने योग्य नहीं था। ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश [सरला बनाम हरियाणा राज्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 124] जिसमें अपीलकर्ता को दंड संहिता की धारा 366-ए के तहत दोषी ठहराया गया था, भी रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। "

19. पीडब्लू-1 का बयान भी संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपहरण के समय उसकी सहेली ज्योति कुमारी उसके साथ मौजूद थी, जिसे पीडब्लू-5 के रूप में पेश किया गया। उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया और इसलिए अभियोजन पक्ष उसके बयान को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, जैसा कि मुकदमे के दौरान सामने आया। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि उसने घटना का समर्थन किया, लेकिन अपहरण की घटना में शामिल किसी भी लड़के का नाम नहीं लिया और वह पीड़िता का नाम भी बताने में विफल रही। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लड़कों को नहीं जानती। वह कटघरे में मौजूद अभियुक्तों की पहचान करने में भी विफल रही। उसके बयान और पीडब्लू-3 के बयान के मद्देनजर, जो कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का पिता है, जो अपीलकर्ता-दोषी संतोष कुमार के पीडब्लू-1 से पूर्व परिचित होने का सुझाव देता है, यह

निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि पीड़िता स्टर्लिंग गवाह के परीक्षण में असफल रही और इसलिए, उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

20. पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> ***"7. जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूने देता है, या यौन इरादे से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेश के बिना शारीरिक संपर्क शामिल होता है, उसे यौन हमला करने वाला कहा जाता है। "***

21. उपर्युक्त संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि अ.सा.-1/पीड़िता ने कहीं भी यह संकेत नहीं दिया कि कथित अपहरण के समय उसे अपीलकर्ताओं-दोषियों ने 'यौन इरादे' से छुआ था। उसने कोई अलार्म नहीं बजाया या रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसके बयान से किसी भी तरह के खतरे की आशंका नहीं मिलती है और इसलिए, 'यौन इरादे' जो कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को आकर्षित करने का मूल तत्व है, उसके बयान से उपलब्ध नहीं होता है, खासकर तब, जब ट्रायल कोर्ट ने पेनेट्रेटिव यौन हमले के बारे में उसके बयान पर विश्वास नहीं किया और इसलिए, धारा 354-बी भा.दं.सं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषसिद्धि भी विश्वसनीय नहीं लगती है।

22. अब, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के प्रावधान को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> ***"342. जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक***

की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। "

23. उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अ.सा.-1/पीड़िता ने स्वयं घटनास्थल पर विवाद करते हुए कहा कि यह बांस के झुरमुट के पास एक सुनसान जगह थी, जो उसके अपने बयान का खंडन करता है, जैसा कि मुख्य परीक्षा के दौरान कहा गया था कि यह अपीलकर्ता-दोषी संतोष कुमार की चाची का घर था। किसी अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह ने घटना के निहितार्थ का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, चाची के घर में उसे बंद करने के बाद यौन उत्पीड़न करने को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जबकि अ.सा.-7, घटना का गवाह होने के नाते अदालत के समक्ष पीड़िता और अपीलकर्ताओं की पहचान करने में विफल रहा, भा.दं.सं की धारा 342 के तहत दोषसिद्धि भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई स्वीकार्य नहीं लगती है।

24. उपर्युक्त तथ्यात्मक एवं विधिक चर्चाओं तथा साक्ष्यों के पुनः मूल्यांकन के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है।

25. तदनुसार, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

26. मटिहानी थाना कांड संख्या 176/2018 से उत्पन्न पॉक्सो केस संख्या 96/2018 में विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, बेगूसराय द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 15.07.2023 को दोषसिद्धि का विवादित निर्णय तथा दिनांक 18.07.2023 को सजा का आदेश, एतद्द्वारा, निरस्त तथा अपास्त किया जाता है। उपरोक्त अपीलकर्ताओं/दोषियों को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से बरी किया जाता है।

27. अपीलकर्ता-दोषी, अर्थात विवेक कुमार जमानत पर है, इसलिए उसे जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जा रहा है। चूंकि अपीलकर्ता-दोषी, अर्थात संतोष कुमार

और सुमित कुमार हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

28. अपीलकर्ताओं-दोषियों द्वारा जमा किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, उन्हें तुरंत वापस किया जाए।

29. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को फैसले की एक प्रति के साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट को तुरंत वापस भेजे।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।